न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–22.01.2021

मिशल संख्या:– 60 / 2006

उनवानी दावा :

राधेश्याम पुत्र किस्तुरचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
मंदिर पुजारी मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज नाबालिग जरिये पुजारी

– वादी –

बनाम

1. छीतर पुत्र नंदा जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली (मृतक)
   1/1– छोटी पत्नि छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/2– शंकर पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/3– कैलाश पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/4– पवन पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/5– सीमला पुत्री छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/6– सांवरा पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
2. शिवराज पुत्र नंदा जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
3. अशोक कुमार पुत्र नंदा जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
4. कल्याणी पुत्री नंदा पत्नि प्रभु जाति ब्राहम्ण निवासी डगारिया तहसील हिण्डोली, जिला–बूंदी, राज0
5. गीता पुत्री नंदा पत्नि प्रहलाद जाति ब्राहम्ण निवासी उन्दरी तहसील केकडी, जिला–अजमेर, राज0
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली जिला–टोंक
7. तहसीलदार जी देवली, जिला–टोंक
8. जिला कलेक्टर टोंक राज0
9. श्रीमति फूला देवी पत्नि आमप्रकाश जाट निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला–टोंक
10. श्रीमति जमनी पत्नि लादूलाल जाट निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला–टोंक

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

श्री राधेश्याम काबरा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मंदिर मुरलीधर जी महाराज जी महाराज की खातेदारी एवं कब्जे की जमीन वाके ग्राम कासीर तहसील देवली

जिला–टोंक में स्थित है। साबिक ख0नं0 650 रकबा 1 बीघा 14 बीसवा, ख0नं0 651 रकबा 1 बीघा 15 बीसवा, ख0नं0 980 रकबा 14 बीसवा, ख0नं0 1281 रकबा 1 बीघा 5 बीसवा, ख0नं0 1608 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 1641 रकबा 1 बीघा 16 बीसवा व ख0नं0 1702 रकबा 1 बीघा 16 बीसवा कुल किता–7, कुल रकबा 10 बीघा वाके ग्राम कासीर तहसील देवली जिला–टोंक स्थित है। उक्त जमीन पूर्व में माफी बाला पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण के कब्जे काश्त की थी अर्थात उक्त व्यक्ति की थी जिसमें मंदिर मुरलीधर जी के नाम उक्त जमीन दे दी थी। प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता नंदा व वादी के पूर्वज उक्त मंदिर की सेवा पुजा करते थे और मंदिर की जमीन में काश्त करके अपना एवं अपने परिवार का पेट पालते थे। साबिक ख0नं0 980 रकबा 14 बीसवा एवं ख0नं0 1608 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम कासीर पूर्व में मंदिर की जमीन थी और उक्त मंदिर का पुजारी वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5 के पिता थे। प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता नंदा ने चालाकी से विवादित आराजी भूमि को स्वयं के नाम लगवा लिया जबकि उक्त जमीन मंदिर के नाम लगना चाहिए थी। हाल ही में सेटलमेंट हुआ है जिसके दोरान साबिक ख0नं0 980 के हाल नम्बर 1494 व साबिक ख0नं0 1608 के हाल ख0नं0 1818 बना दिये गये है और उक्त दोनों आराजीयात को प्रतिवादीगण 1 ता 5 की खातेदारी में लगा दिया गया है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 मृतक नंदा के जायज कायम मुकामान है जबकि उक्त जमीन को मंदिर मुरलीधर जी की खातेदारी में लगाना चाहिए था। साबिक ख0नं0 650, 651, 980, 1281, 1608, 1641, 1702 पूर्व में मंदिर मुरलीधर जी की जमीन दी जिसको नंदलाल पुत्र मथुरालाल जो कि उक्त मंदिर का पुजारी था सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर स्वयं के नाम लगवा लिया। सेटलमेंट के दौरान साबिक ख0नं0 650 के नये नम्बर 1387, साबिक ख0नं0 651 के नये नम्बर 1395, ख0नं0 980 के नये नम्बर 1494, ख0नं0 1281 के नये नम्बर 1068, ख0नं0 1608 के नये नम्बर 1818, ख0नं0 1641 के नये नम्बर 1555 व ख0नं0 1702 के नये नम्बर 1715 बना दिये गये है और सेटलमेंट के बाद उक्त नम्बरान में से हाल ख0नं0 1068, 1387, 1395, 1715 को तो पुनः मंदिर की खातेदारी में लगा दिया गया लेकिन साबिक ख0नं0 980 व 1608 से बनने वाले हाल ख0नं0 1494 रकबा 0.18 एवं ख0नं0 1818 रकबा 0.29 है0 को प्रतिवादीगण 1 ता 5 की खातेदारी में लगा दिया गया जबकि उक्त जमीन को वादी की खातेदारी में लगाया जाना चाहिए था जिसकी दुरूस्ती के लिए यह वाद प्रस्तुत है। इसी प्रकार हाल ख0नं0 1491 रकबा 0.18 है0 को वादी राधेश्याम की खातेदारी में लगा दिया गया है जबकि उक्त जमीन को भी मंदिर मुरलीधर जी की खातेदारी में लगाया जाना चाहिए था। हाल ख0नं0 1494 रकबा 0.18 है0 एवं ख0नं0 1818 रकबा 0.29 है0 जमीन बीसलपुर बांध के डुब में आ गयी है और उसका मुआवजा भी प्रतिवादी 1 ता 5 के नाम बन चुका है इस कारण प्रतिवादीगण 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि उक्त जमीन का मुआवजा स्वयं जरिये नोकर चाकर के नही उठावे और पाबंद रहे। वादी राधेश्याम की खातेदारी में आयी हुई आराजी ख0नं0 1491 रकबा 0.18 है0 जमीन भी बीसलपुर में आ गयी है लेकिन उक्त जमीन मंदिर की होने के कारण वादी उक्त जमीन

का मुआवजा नही उठा रहा है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 आपस में भाईबंध है तथा शुरू से ही मंदिरों की सेवा करके अपना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करते आये है। मृतक नंदा पुत्र मथुरा ने अपने प्रभाव का एवं सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर मंदिर की जमीन स्वयं के नाम लगवा लिया है और उसकी मृत्यु के बाद जमीन प्रतिवादी 1 ता 5 के नाम लग गयी है जबकि उक्त जमीन जिसका विवरण उपर किया गया है मंदिर की खातेदारी में लगनी चाहिए थी जिसके लिए उक्त वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 तथा 2 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 की ओर से श्री आर. एस काबरा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– वाद पत्र का चरण नम्बर 1 अस्वीकार है। आराजी साबिक नम्बर 650, 651, 1281, 1702 वाके ग्राम कासीर में होना स्वीकार है, शेष गलत है, ओर अस्वीकार है। वादी अपने अभिवचनों को सिद्ध करें वादी के अभिवचन अपूर्ण व अस्पष्ट है। विवादित आराजी प्रतिवादी के पिता नंदा के कब्जे व काश्त व खातेदारी में है, एवं लम्बे अरसे से चली आ रही है। वादी का विवादित आराजीयात से कोई लेना देना नही है। वादी के अभिवाचन अपूर्ण व अस्पष्ट है। वादी विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार नही है। वादी को विवादित आराजीयात के संबंध में वाद पेश करने का कोई अधिकार नही है। वाद पत्र का चरण नं0 4 अस्वीकार है। वादी अपने अभिवचनों को सिद्ध करें विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 विवादित आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी अपने अभिवचनों को सिद्ध करें। वाद पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, ओर स्वीकार नहीं है। वादी अपने अभिवचानों को सिद्ध करें सेटलमेंट में किसी तरह की कोई गलती नहीं की है, सेटलमेंट द्वारा सही रूप से इन्द्राज किया गया है। वादी ने सेटलमेंट की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी है। बिना सेटलमेंट की कार्यवाही को सक्षम न्यायालय को चुनौती दिये बिना प्रस्तुत वाद पोषनीय नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 6 जिस तरह लिखा है, गलत है। ओर स्वीकार नही है। वादी अपने अभिवचनों को सिद्ध करें। वाद पत्र का चरण नं0 7 गलत है, ओर स्वीकार नहीं है। केवल आराजी ख0नं0 1994, 1818 की जमीन बिसलपुर डूब क्षैत्र में आना स्वीकार है, उक्त ख0नं0 बिसलपुर परियोजना द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के कब्जे से अवाप्ति किया गया है, जिसका एवार्ड बन चुका है, वादी ने भूमि आवाप्ति अधिनियम के तहत प्रतिवादी 1 ता 5 के पक्ष में बने हुये एवार्ड को चूनौती नही दी है, इसलिए प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है। उपरोक्त आराजीयात के संबंध में श्रीमान् के न्यायालय हाजा को अवार्ड पारित होने के उपरान्त कोई क्षैत्राधिकार नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 8 गलत है, ओर स्वीकार नहीं है। वादी अपने अभिवचनों को सिद्ध करें। वादी अत्यन्त चालाक किस्म का व्यक्ति है, ने ख0नं0 1494 रकबा 0.18 है0 भूमि वादी ने आपके नाम गलत रूप से अंकित करवा रखी है। वाद पत्र का चरण नं0 9 गलत है, ओर स्वीकार नहीं है। वादी ने प्रमाणित वंशावली पेश नहीं की है, सजरे में हनुमान को मूलचन्द का दत्तक

पुत्र बनाया गया है, जो गलत है। मूलचन्द ना औलाद फोत हो चुका है हनुमान उसका दत्तक पुत्र नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 9 गलत है, ओर स्वीकार नहीं है। वादी अपने अभिवचनों को सिद्ध करें। वाद पत्र अजेन्ट नेचर का नहीं है, प्रस्तुत वाद में वाद पेश करने से पूर्व राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है एवं मेन्डेटरी है। राजस्थान सरकार एवं उसके प्रतिनिधियों को बिना नोटिस दिये ही वाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया है, नोटिस के अभाव में वाद चलने योग्य नही है। वादी की दफा 80 (2) सी0पी0सी0 तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादी की अभियाचना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। मुलाहिजा हो विशेष आपत्तियां प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 में विवादित आराजीयात की कुछ भूमियों का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्राप्त कर लिया है, इसलिए प्रस्तुत वाद इन्फेक्यूरेट हो गया है। इसलिए प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद पत्र से वाद हेतु प्रकट नहीं है, इसलिए प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने येाग्य है। **विशेष आपत्तियां** :– वादी का प्रस्तुत वाद अन्दर मयाद नहीं है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद अजेन्ट नेचर का नहीं है। वादी ने प्रस्तुत वाद राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधियों को बिना धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के नोटिस दिये ही पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। एवं खारिज किये जाने योग्य है। वादी के अभिवचन है, कि विवादित भूमि का मुआवजा बिसलपुर परियोजना देवली द्वारा दिया जाना है इससे स्पष्ट है कि विवाद मुआवजे का है, जिसकों चूनौती भूमि आवाप्ति अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में ही दी जा सकती है। प्रस्तुत न्यायालय में प्रस्तुत वाद का क्षेत्राधिकारी वादी को प्राप्त नहीं है। ओर न ही श्रीमान् न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार ही प्राप्त है इसलिए क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर ही प्रस्तुत वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। स्थायी निषेधाज्ञा का वाद केवल काश्तकार या उप काश्तकार द्वारा ही पेश किया जा सकता है। वादी न तो विवादित भूमि का काश्तकार है, ओर ना ही उप काश्तकार है। इसलिए वादी को प्रस्तुत वाद करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी लोकल स्टेन्डाई नहीं है। इस बिन्दु पर प्रस्तुत वाद अस्वीकार योग्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बीच अनेक फौजदारी एवं राजस्व वाद विचाराधीन है इसलिए वादी ने इन मुकदमों में दबाव डालने की नियत से वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो विधि विधान के अनुसार चलने योग्य नहीं है एवं धारा 35 ए0 सी0पी0सी0 के तहत विशेष हर्जे एवं खर्चे के अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादी ने वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश नहीं किया है। मुआवजा की राशि पर कोई कोर्ट फीस अदा नहीं की गई है इसलिए प्रस्तुत वाद पत्र कोर्ट फीस के अभाव में चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र के अभिवचनों से वाद हेतुक प्रकट नहीं है इसलिए प्रस्तुत वाद आर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र अन्दर मयाद प्रस्तुत नहीं है। वादी ने सेटलमेंट की कार्यवाही को 12 साल की अवधि के अन्दर सक्षम अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं किया है, इसलिए प्रस्तुत वाद मयाद अधिनियम के आर्टिकल 65 के तहत चलने योग्य नहीं है एवं प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः

जवाब दावा मिनजानिब प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद अस्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावें। वादी का प्रस्तुत वाद धारा 88, 92 ए, 188 राज0टी0एक्ट0 के तहत चलने योग्य नहीं है।
पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 राधेश्याम पुत्र श्री किस्तुरचन्द जाति ब्राहम्ण ग्राम कासीर पी. डब्लयू–2 भोलू पुत्र लाडू जाति मीणा निवासी कासीर के पेश किये।
अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 व 2 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल मिसल है।
वादी जिरह बन्द की जाकर साक्ष्य वादी बन्द की गई।
पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।
प्रतिवादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र डी.डब्ल्यू–1 शिवराज पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर का पेश किया।
पत्रावली प्रतिवादी जिरह में नियत की गई।
अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल मिसल है।
प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।
पत्रावली बहस में नियत की गई।
वादी की और से लिखित बहसः –
मंदिर श्री मूरलीधरजी महारज की खातेदारी की भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में अंकित है। उक्त भूमि बाला पुत्र धन्नालाल ब्रहाम्ण के कब्जे काश्त की थी उसने उक्त भूमि उक्त मंदिर में दे दी थी। वादी उक्त मंदिर का पुजारी है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 का पिता नन्दा भी उसका पुजारी है। वादी व नन्दा के पूर्वज उक्त मंदिर की सेवा पूजा करके अपना पेट पालते थे। साबिक खसरा नम्बर 980 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1608 रकबा 1 बीघा पूर्व में मंदिर के नाम थी जिनके नए नम्बर क्रमशः 1494 व 1818 बनाए गए है, सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि को नन्दा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर स्वयं के नाम लगवा लिया। नन्दा गणेश का पुत्र था लेकिन वह मथरालाल के गौद चला गया था इस कारण उसने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खातेदारी में पिता का नाम मथरालाल अंकित करवा लिया। वाद पत्र के चरण नम्बर 4 में वर्णित साबिक व0 हाल खसर नम्बर में हाल खसरा नम्बर 1068, 1387, 1395, 1715 जो पूर्व मे नन्दा पुत्र मथरालाल की खातेदारी मे थी जिससे हटाकर मंदिर की खातेदारी में लगा दिया गया लेकिन खसरा नम्बर 1494 व 1818 को नन्दा की खातेदारी में रहने दिया। जब कि उक्त दोनो नम्बर मंदिर की भूमि है जबकि गलत रूप से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के पिता की खातेदारी में लगा दिया गया है। मंदिर की खातेदारी में लगाने के लिए यही वाद घोषणा खातेदारी वादी ने पेश किया है। वादी ने इस बाबत् नन्दा पुत्र मथुरालाल की खातेदारी की जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल व बाद में मंदिर के नाम लगायी गयी जमाबंदी पेश की गई है। हाल खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.18 है0 भूमि वादी व वादी की बहिने, सीता , शांन्ति, सुमित्रा, कैलाशी पुत्रिया किस्तुरा व मूली बेवा किस्तुरा के नाम लगा दी गई है। उक्त भूमि बीसलपुर बांध में डूब क्षैत्र में आ गई है जिसका मुआवजा भी बन चुका है, लेकिन अभी तक वादीगण ने उक्त मुआवजा नही उठाया है क्योंकि उक्त खसरा नम्बर भीं गलत रूप से वादी की खातेदारी में लगा दिया गया है। जिसको वादी मंदिर

की खातेदारी में लगाना चाहता है। दौराने दावा प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने विवादित भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 के हक में रजि0 करवा दिया जो धारा 52 सम्पतियां हस्तान्तरण अधिनियम के मंशा के खिलाफ है और उक्त विक्रय पत्र प्रभावहीन घोषित किये जाने योग्य है जिसके लिए माननीय न्यायालय स्वयं सक्षम है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में यह ऐतराज उठाया है कि वादी उक्त मंदिर का पुजारी नही है लेकिन प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में इस बात का कोई भी जिक्र नही उठाया हैं। इस कारण प्रतिवादीगण की उक्त बात मान्य योग्य नही है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पी0 डब्ल्यू 1 व पी0 डब्ल्यू 2 का बयान कराकर तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र को पूर्णतया साबित किया है। विवादित दो नम्बरान को छोडकर अन्य नम्बर जो नन्दलाल पुत्र मथरालाल की खातेदारी में गलती से अंकित कर दिए गए थे उनको मंदिर की जमीन मानते हुए मंदिर की खातेदारी में अंकित कर दिया गया है जिसकी जमाबंदी स0 2046 से वाद पत्र में संलग्न है। प्रतिवादीगण ने अपनी लिखित बहस में दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा जो विक्रय पत्र विवादित जमीन का प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 के हक में किया है इस बाबत् भी कोई उज्र नही उठाया है।

लिखित बहस प्रतिवादीगण की ओर से:–आराजीयात सविका ख0नं0 980 रकबा 14 बिसवा ख0नं0 1608 रकबा 1 बीघा भूमि जिसके वि हाल ख0नं0 0.29 वाके ग्राम कासीर तह0 देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। वाद पत्र में वादीगण ने अंकित किया है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि पूर्व में बाला पुत्र धन्ना के कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त व्यक्ति ने यह भूमि मुरलीधर जी को दे दी थी। उक्त भूमि कब व कैसे मन्दिर को दी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। हाल ख0नं0 1494 व ख0नं0 1818 दस्तावेज साक्ष्य से सिद्ध नहीं की है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी गण ने यह भूमि सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम लगा ली। हाल ख0नं0 1494 ख0नं0 1818 मन्दिर की भूमि हो दस्तावेजों व साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। वादीगण ने स0 2014 से 2029 की फोटोकॉपी पेश की है। जिस पर प्रदर्श नहीं नहीं डाला गया है साक्ष्य से ग्राह्य जांच योग्य नहीं है। नकल जमाबंदी सं0 2055 से 2058 नॉन एक्सबीटेड साक्ष्य में पढी जाने योग्य नहीं है। जिस इल्लीगल एवं अनाधिकृत आदेश के जर्ये उक्त भूमि प्रतिवादीगण को नाम लगी है अनाधिकृत आदेश के समवन्य में कोई कार्यवाही नहीं की है। वादपत्र में वर्णित भूमि मुरलीधर मन्दिर की भूमि है और मन्दिर की हैसियत से वादीगण का कब्जा ही साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। जमाबंदी सं0 2055 से सं0 2058 का दस्तावेज पेश नहीं किया है व वादीगण द्वारा सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदी पेश नहीं की है। वादी राधेश्याम मन्दिर का पुजारी हो साक्ष्य से सिद्ध नहीं है। पुजारी होने के तथ्य को सिद्ध करने के लिए पुजारी बाबत् तहसील के रजिस्टर की नकल भी पेश नहीं की है। वादपत्र में वर्णित भूमि डूब में आ गयी इस संबंध में मुआवजा राशि का अवार्ड बन चुका है जो कि निर्णय है और ऐसे अवार्ड को निरस्त करने के लिए राजस्व न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। वादपत्र में वर्णित भूमि डूब में आ गयी। उक्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाने से वादपत्र वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अर्जेंट नेचर का नहीं होने से राज्य सरकार नोटिस प्रेषित नहीं किये जाने के कारण वादपत्र वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। वादी राधेश्याम मन्दिर का पुजारी हो इस बाबत् मन्दिर का सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है।

D.R.

उक्त वर्णित भूमि माफी की भूमि नहीं रही है। मन्दिर की डोली की भूमि भी नहीं रही है ऐसी स्थिति में वादीगण को वादपत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। Legal point :– ओरल ऐवीडेन्स के आधार पर दावा डिकी नहीं किया जा सकता। वाद पत्र में वर्णित भूमि RRD 2000 453 page 453 माफी की भूमि नहीं रही है न ही डोली की व मन्दिर की भूमि रही है। वादीगण को वादपत्र पेश करने का अधिकार नही रही। अतः प्रतिवादीगण की ओर से बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण पर खर्चा है जो खारिज किया जाने का आदेश प्रदान करे।

तनकीवार निर्णयः–

1. **आया वादी विवादित आराजी ख0नं0 1494/0.18, 1818/0.29 ग्राम कासीर को मंदिर मुरलीधर जी महाराज की खातेदारी में लगवाने एवं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्ती करवाने के हकदार है ?** **–वादी–**

   इस तनकी का साबित करने का भार वादी पर था। ख. नं. प्रदर्श–4मिलान क्षैत्रफल भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2046–65 में हाल ख. नं. 1494 रकबा 0.18 है0 1818 रकबा 0.25 है0 क्रमश साबिक ख. नं. 980 व 1608 से बना हुआ दर्शित है। पत्रावली पर उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड से वादी यह साबित नहीं कर पाया कि साबिक ख. नं. 980 व 1608 वादी के नाम रहा हो। वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड से साबित नही करने के कारण यह तनकी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया वादी ख0नं0 1491/0.18 है0 वाके कासीर आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी से हटवाने व मंदिर मुरलीधर जी महाराज की खातेदारी में दर्ज करवाने के हकदार है ?** **–वादी–**

   तनकी नं. 1 के निर्णयानुसार यह तनकी भी विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. **आया वादी ख0नं0 1494/0.18 व 1818/0.29 है0 ग्राम कासीर आराजी का मिलने वाली मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने व प्रतिवादी 6 को पुनर्भरण राशि प्रतिवादी राधेश्याम को अदा न करने हेतु पाबंद बाबत् अनुतोष प्राप्त करने के हकदार है ?** **–वादी–**

   तनकी नं. 1 को वादी द्वारा साबित नहीं करने के कारण तनकी नं. 3 में दर्ज पर वादी को कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादी उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी को भी पाबन्द करवाने का हकदार नहीं है। अतः तनकी नं. 3 का निर्णय विरूद्ध वादी किया जाता है।

4. **आया प्रतिवादी पक्ष विवादित अन्य आराजी कदीमी खातेदारी विधिक रूप से है ? और आराजी डूब में आने से मुआवजा राशि प्रतिवादी 6 से प्राप्त करने के हकदार है ? एवं प्रस्तुत दावा न्यायोचित नहीं है।** **– प्रतिवादीगण–**

   तनकी नं. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2014–29 के खतोनी बन्दोबस्त व 2036–39 के कॉलम संख्या 4 के अनुसार विवादित आराजी ख. नं. 980 व 1608 का खातेदार नन्दलाल पुत्र मथुरालाल कौम ब्राहम्ण था । जमाबन्दी सम्वत 2055–58 में छीतर शिवराज अशोक कुमार पुत्र कल्याणी गीता पुत्रियां नन्दालाल के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड से साबित है कि प्रतिपक्ष उक्त

आराजी का विधिक रूप से खातेदार है। प्रतिवादीगण को को उक्त अआराजी को डूब में आने व मुआवजा लेने के लिए दस्तावेज से सिद्ध करना था। उक्त राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिपक्षीगण की खातेदारी साबित है। तनकी नं. 1 त 3 के निर्णय अनुसार तनकी नं. 4 के इस बिन्दू को प्रतिवादीगण ने बखूबी साबित किया है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी किया जाता है।

5. अन्य अनुतोष ?

वाद में अन्य अनुतोष की आवश्यकता नहीं है।

उक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादी को अपने वाद को गुणावगुण के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर साबित करना था। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए दस्तावेज पेश न करके केवल मौखिक साक्ष्य पेश किये हैं। अतः दस्तावेजी साक्ष्यो व सबूतो के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ो 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली
व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक.....
उनवानी दावा :

राधेश्याम पुत्र किस्तुरचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली जिला–टोंक (राज.) मंदिर पुजारी मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज नाबालिग जरिये पुजारी

– वादी –

बनाम

1. छीतर पुत्र नंदा जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली (मृतक)
   1/1– छोटी पत्नि छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/2– शंकर पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/3– कैलाश पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/4– पवन पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/5– सीमला पुत्री छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
   1/6– सांवरा पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
2. शिवराज पुत्र नंदा जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
3. अशोक कुमार पुत्र नंदा जाति ब्राहम्ण निवासी कासीर तहसील देवली
4. कल्याणी पुत्री नंदा पत्नि प्रभु जाति ब्राहम्ण निवासी डगारिया तहसील हिण्डोली, जिला–बूंदी, राज0
5. गीता पुत्री नंदा पत्नि प्रहलाद जाति ब्राहम्ण निवासी उन्दरी तहसील केकडी, जिला–अजमेर, राज0
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली जिला–टोंक
7. तहसीलदार जी देवली, जिला–टोंक
8. जिला कलेक्टर टोंक राज0
9. श्रीमति फूला देवी पत्नि आमप्रकाश जाट निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला–टोंक
10. श्रीमति जमनी पत्नि लादूलाल जाट निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला–टोंक

–प्रतिवादीगण–

दावा दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 60 सन् 2006

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री राधेश्याम काबरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 व 2 ता 10 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

राधेश्याम बनाम छीतर
वाद संख्या :– 60/2006

आदेश

दस्तावेजी साक्ष्यो व सबूतो के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 01 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए